जिला पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2019 को आयोजित प्रधान लिपिकों की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी में

सर्वप्रथम स्थापना उप समाहर्त्ता, जमुई के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रधान लिपिकों का अभिवादन स्वीकार किया गया। तत्पश्चात बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गयी।

1. आज के आहूत बैठक में निम्नलिखित प्रधान लिपिक अनुपस्थित रहे। प्रधान लिपिक जिला निर्वाचन शाखा, जमुई/जिला विकाश शाखा, जमुई/प्रखंड कार्यालय चकाई, बरहट, जमुई, सोनो/ अंचल कार्यालय जमुई, सोनो/ वन प्रमंड़ल कार्यालय, जमुई / ग्रामीण विकास अभिकरण, जमुई/ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई/ विद्युत आपूर्ति प्रमंड़ल कार्यालय, जमुई/ सिंचाई प्रमंडल, लक्ष्मीपुर/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई/ जिला सहकारिता कार्यालय, जमुई/ भूमि संरक्षण कार्यालय, जमुई/ जिला निबंधन कार्यालय, जमुई/जिला उपभोक्ता फोरम, जमुई/ जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जमुई/ जिला योजना कार्यालय, जमुई अनुपस्थित पाये गए। अनुपस्थित प्रधान लिपिकों से उपरोक्त बैठक में भाग न लेने के आरोप में एक सप्ताह के अंदर स्पष्ट कारण दर्शाते हुए कार्यालय प्रधान के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

2. **प्रतिवेदन उपलब्ध कराने संबंधीः–** प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि प्रधान लिपिकों के बैठक से संबंधित प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसके कारण प्रतिवेदन का संकलन में कठिनाई होती है। कुछ विभाग बैठक की तिथि से एक दिन पूर्व या बैठक की तिथि को ही प्रतिवेदन समर्पित किया जा रहा है। अतएव सभी प्रधान लिपिकों को निर्देश दिया जाता है कि वांछित प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 2रीं तिथि तक जिला स्थापना शाखा, जमुई में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। विलम्ब से प्राप्त होने वाले प्रतिवेदन की समीक्षा बैठक में नहीं की जायेगी तथा इसके लिए संबंधित कार्यालय प्रधान एवं प्रधान लिपिक दोषी होंगें। विशेष परिस्थिति में कार्यालय प्रधान के उपलब्ध नहीं रहने पर प्रधान लिपिक/प्रभारी प्रधान लिपिक अपने हस्ताक्षर से ही प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया करेंगें। प्रतिवेदन के साथ अद्यतन संधारित सामान्य रोकड़ पंजी की छाया प्रति निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगें।

3. **रोकड़ बही का संधारणः–** रोकड़ बही के संधारण की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में बहुत से कार्यालय का रोकड़ बही अद्यतन संधारित नहीं पाया गया। सभी प्रभारी प्रधान लिपिकों को निर्देश दिया गया कि रोकड़ बही की अद्यतन संधारित राशि एवं बैंक खाता में रखी राशि में भिन्नता रहने के कारण अनियमितता की संभावना बनी रहती है। निर्देश दिया गया कि अपने–अपने कार्यालय का रोकड़ बही अद्यतन संधारित करना सुनिश्चित करें।

4. **मुख्यमंत्री जनता दरबार/जिलाधिकारी जनता दरबार/लोक शिकायत निवारण, सूचना का अधिकार, ब्रिहार लोक सेवाओं का अधिकार के तहत लंबित मामलाः–**

क्र0	कार्यालय/विभाग का नाम	मुख्यमंत्री जनता दरबार	जिलाधिकारी जनता दरबार	लोक शिकायत निवारण मामला	सूचना का अधिकार	बिहार लोक सेवाओं का अधिकार
1	जिला राजस्व शाखा, जमुई	शून्य	14	शून्य	शून्य	शून्य
2	जिला आपूर्त्ति कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	02	शून्य	शून्य
3	जिला प्रोग्राम कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	02	शून्य	शून्य

4	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जमुई।	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
5	जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
6	अनुमंडल कार्यालय, जमुई	शून्य	02	शून्य	शून्य	शून्य
7	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जमुई	शून्य	03	शून्य	शून्य	शून्य
8	प्रखंड कार्यालय, चकाई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
9	प्रखंड कर्यालय, झाझा	प्रतिवेदन अप्राप्त				
10	प्रखंड कार्यालय, लक्ष्मीपुर	प्रतिवेदन अप्राप्त				
11	प्रखंड कार्यालय, ई0 अलीगंज	प्रतिवेदन अप्राप्त				
12	प्रखंड कार्यालय, खैरा	शून्य	शून्य	15	शून्य	22
13	प्रखंड कार्यालय, सोनो	प्रतिवेदन अप्राप्त				
14	अंचल कार्यालय, खैरा	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य
15	अंचल कार्यालय, लक्ष्मीपुर	प्रतिवेदन अप्राप्त				
16	अंचल कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
17	अंचल कार्यालय, सिकन्दरा	शून्य	शून्य	11	शून्य	शून्य
18	अंचल कार्यालय, झाझा	शून्य	शून्य	02	01	शून्य
19	अंचल कार्यालय, ई0 अलीगंज	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य
20	अंचल कार्यालय, सोनो	शून्य	02	शून्य	शून्य	शून्य
21	वन प्रमंडल कार्यालय जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त				
22	सिविल सर्जन कार्यालय, जमुई	शून्य	02	शून्य	01	शून्य
23	जिला शिक्षा कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त				
24	नगर परिषद, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त				
25	जिला सहकारिता पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधक, स0 स0 जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
26	उप निदेषक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
27	वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
28	खनन कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
29	श्रम अधीक्षक कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
30	जिला कृषि कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	06	02	शून्य
31	जिला उधोग केन्द्र, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
32	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
33	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई	शून्य	शून्य	04	01	शून्य
34	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, कार्यालय जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				
35	भवन प्रमंडल कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।				

36	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।
37	सिंचाई प्रमंडल, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।
38	उत्पाद अधीक्षक, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।

(क) समीक्षा के क्रम में निदेष दिया गया कि मुख्यमंत्री जनता दरबार, जिला जनता दरबार, प्रखंड जनता दरबार एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त जन शिकायत से संबंधित आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के अन्दर निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। आगामी प्रधान लिपिक की बैठक में जन शिकायत से संबंधित लंबित मामलो की गहन समीक्षा की जायेगी।

(ख) सभी प्रधान लिपिक को निर्देश दिया गया कि लोक शिकायत निवारण, लोक सूचना का अधिकार अधिनियम एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों को समय सीमा के अन्दर त्वरित निष्पादन करने की कार्रवाई करेंगें। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण एवं द्वितीय लोक प्राधिकार से संबंधित प्राप्त पत्रों पर ससमय प्रतिवेदन तैयार कर लोक प्राधिकार के कार्यालय को ससमय भेजने का निर्देश दिया गया।

5. माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित एम0जे0सी/सी0डब्लू0जे0सी0/ एल0पी0ए0 तथा सेवान्त लाभ का लंबित मामला:–

समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित कार्यालयों से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय के लम्बित संबंधित एम0जे0सी/सी0डब्लू0जे0सी0/एल0पी0ए0 तथा सेवान्त लाभ का लंबित मामला पाया गया।

क्र0	कार्यालय/विभाग का नाम	एम0जे0सी0	सी0डब्लू0जे0सी0	एल0पी0ए0	सेवान्त लाभ
1	उप विकास आयुक्त, जमुई	01	01	शून्य	शून्य
2	जिला सामान्य शाखा, जमुई	शून्य	01	शून्य	शून्य
3	जिला विधि शाखा, जमुई	24	148	08	शून्य
4	जिला आपूर्त्ति कार्यालय, जमुई	शून्य	01	शून्य	शून्य
5	जिला पंचायत कार्यालय, जमुई	शून्य	02	शून्य	शून्य
6	जिला प्रोग्राम कार्यालय, जमुई	01	08	शून्य	शून्य
7	जिला परिषद, जमुई।	शून्य	शून्य	01	शून्य
8	जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
9	अनुमंडल कार्यालय, जमुई	शून्य	08	शून्य	शून्य
10	प्रखंड कार्यालय, चकाई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
11	प्रखंड कार्यालय, गिद्धौर	शून्य	शून्य	शून्य	01
12	प्रखंड कर्यालय, झाझा	शून्य	01	शून्य	शून्य
13	प्रखंड कार्यालय, जमुई	शून्य	01	शून्य	शून्य
14	प्रखंड कार्यालय, लक्ष्मीपुर	शून्य	01	शून्य	शून्य
15	प्रखंड कार्यालय, ई0 अलीगंज	शून्य	01	शून्य	शून्य
16	प्रखंड कार्यालय, सिकन्दरा	शून्य	शून्य	शून्य	02
17	प्रखंड कार्यालय, खैरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18	प्रखंड कार्यालय, सोनो	शून्य	01	शून्य	01

19	अंचल कार्यालय, खैरा	शून्य	04	शून्य	शून्य
20	अंचल कार्यालय, चकाई	शून्य	02	शून्य	शून्य
21	अंचल कार्यालय, लक्ष्मीपुर	शून्य	01	शून्य	शून्य
22	अंचल कार्यालय, बरहट	शून्य	04	शून्य	शून्य
23	अंचल कार्यालय, जमुई	शून्य	03	शून्य	शून्य
24	अंचल कार्यालय, सिकन्दरा	शून्य	02	शून्य	शून्य
25	अंचल कार्यालय, झाझा	शून्य	01	शून्य	01
26	अंचल कार्यालय, सोनो	शून्य	03	शून्य	शून्य
27	वन प्रमंडल कार्यालय जमुई	शून्य	01	शून्य	शून्य
28	सिविल सर्जन कार्यालय, जमुई	शून्य	03	शून्य	08
29	नगर परिषद, जमुई	शून्य	01	शून्य	शून्य
30	जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई	04	41	03	शून्य
31	जिला सहकारिता पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधक स0 स0 जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
32	उप निदेषक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
33	जिला निबंधन कार्यालय, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
34	जिला पशुपालन कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	01
35	वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
36	खनन कार्यालय, जमुई	02	07	शून्य	शून्य
37	अधीक्षक मद्य निषेध कार्यालय, जमुई	शून्य	05	शून्य	शून्य
38	जिला कृषि कार्यालय, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	06
39	जिला उधोग केन्द्र, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
40	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
41	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	09
42	लधु सिंचाई प्रमंडल, जमुई	01	01	शून्य	01
43	विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, कार्यालय जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
44	पथ प्रमंडल, जमुई	01	शून्य	शून्य	01
45	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
46	सिंचाई प्रमंडल, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			
47	सिंचाई प्रमंडल, लक्ष्मीपुर	शून्य	शून्य	शून्य	02
48	उत्पाद अधीक्षक, जमुई	प्रतिवेदन अप्राप्त।			

(क) इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्यालय प्रधान एवं प्रधान लिपिक के द्वारा माननीय न्यायालय से संबंधित मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। प्रधान लिपिक को निर्देश दिया गया कि जिला विधि शाखा, जमुई से सम्पर्क स्थापित कर अपने कार्यालय से संबंधित वादों में प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के अन्दर तथ्य विवरणी तैयार कर अनुमोदनोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रति शपथ पत्र दायर करना सुनिश्चित करें। जिला विधि शाखा, जमुई के प्रभारी प्रधान लिपिक को भी निर्देश दिया गया कि वाद की स्थिति Up to date रखे तथा

एम0जे0सी0 से संबंधित मामले में संबंधित कार्यालय को स्मारित कर ससमय कारण पृच्छा दाखिल करायें।

(ख) सेवान्त लाभः— समीक्षा के क्रम में सेवान्त लाभ से संबंधित मामले बहुत से कार्यालय में लंबित पाया गया। संबंधित प्रधान लिपिक/प्रभारी प्रधान लिपिक को निर्देश दिया गया कि सभी लंबित मामले एक पक्ष के अन्दर निष्पादन कराना सुनिश्चित करें। अगली बैठक में इसकी गहन समीक्षा की जायेगी।

सेवानिवृत होनेवाले कर्मियों के सेवान्त लाभ के मामलों के बारे में सभी उपस्थित प्रधान लिपिक को निर्देश दिया गया कि जो कर्मी सेवानिवृत होनेवाले हैं, उन्हें एक महीने पूर्व ही सेवान्त लाभ से संबंधित ग्रुप बीमा की राशि एवं अर्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान से संबंधित कार्रवाई कर सेवानिवृति के अन्तिम माह में भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगें। सेवानिवृत होने वाले कर्मी के पेंशन से संबंधित कागजात महालेखाकार, बिहार, पटना को ससमय भेजने का निर्देश दिया गया। सेवानिवृत होनेवाले कर्मी का भविष्य निधि कटौती विवरणी अविलम्ब जिला भविष्य निधि कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया गया।

स्थापना उप समाहर्त्ता, जमुई द्वारा समीक्षा के क्रम में उपस्थित सभी प्रधान लिपिक को निर्देश दिया गया कि माह जुलाई 2019 में पेंशन अदालत जिला स्तर पर आयोजित की जायगी जिसमें विभागवार सेवांत लाभ के मामले की समीक्षा की जायगी। उसके पूर्व सभी कार्यालय प्रधान/ प्रधान लिपिक अपने-अपने कार्यालय के सेवांत लाभ के निलंबित मामले की समीक्षा कर निस्तार करना सुनिश्चित करेंगें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

24/06/19

जिला पदाधिकारी
जमुई।

ज्ञापांक— 03 (मु0) /स्था0, दिनांक 24/06/2019

प्रतिलिपिः— सभी प्रधान लिपिक, जिला जमुई को सूचनार्थ एवं यथाशीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—सभी कार्यालय प्रधान, जिला जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, जमुई को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/06/19

जिला पदाधिकारी
जमुई।